महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 29.01.2026

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांकः -29.01.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।
- पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 29.01.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति 5.0 : नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर महोबा पुलिस का सशक्त जागरुकता अभियान...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में “मिशन शक्ति अभियान फेज-5” के अन्तर्गत आज दिनांक- 29.01.2026 को जनपद महोबा में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विश्वास का वातावरण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

“मिशन शक्ति 5.0” अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त थानों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की सक्रिय सहभागिता से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधी संसाधनों की जानकारी प्रदान की गई।

अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई आर्थिक सहायता योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, वन स्टॉप सेंटर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आदि की जानकारी पंपलेट के माध्यम से दी गई।

महिलाओं को पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे वीमेन पावर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, सीएम हेल्पलाइन-1076, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।

महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा, आत्मनिर्भरता की सोच और सम्मान का भाव विकसित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है।

सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज महोबा में जागरूकता कार्यक्रम एवं रैली का आयोजन

आज दिनांक 29.01.2026 को जिलाधिकारी महोबा श्रीमती गजल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जनपद महोबा में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम राजकीय इंटर कॉलेज, महोबा में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम के दौरान ARTO महोबा एवं यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से विद्यार्थियों एवं विद्यालय के शिक्षकों को यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। उपस्थित छात्र-छात्राओं को हेलमेट व सीट बेल्ट के प्रयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन, नशे की हालत में वाहन न चलाने, मोबाइल फोन का प्रयोग न करने तथा पैदल यात्रियों के अधिकारों के संबंध में जागरूक किया गया।

इस अवसर पर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई, जिससे वे स्वयं सुरक्षित रहें एवं दूसरों को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर सकें।

कार्यक्रम के उपरांत स्काउट्स एवं गाइड, विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की संयुक्त टीम द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से "सड़क सुरक्षा—जीवन रक्षा", "हेलमेट पहनें, जीवन बचाएं" जैसे नारों के जरिए आम जनमानस को यातायात नियमों के पालन हेतु प्रेरित किया गया।

जनपद प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आगे भी निरंतर आयोजित किए जाएंगे, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके एवं सुरक्षित यातायात संस्कृति को बढ़ावा मिल सके।

"तनाव मुक्त परीक्षा" कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ ने परीक्षार्थियों को दिए सफलता के मंत्र

आज दिनांक 29.01.2026 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ **श्री रविकांत गोंड** द्वारा दैनिक समाचार पत्र **अमर उजाला** के तत्वाधान में थाना कुलपहाड़ क्षेत्रांतर्गत स्थित **राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुगिरा** में आयोजित **"तनाव मुक्त परीक्षा"** कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया।

कार्यक्रम के दौरान बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा परीक्षा की बेहतर तैयारी एवं मानसिक तनाव से मुक्त रहने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने परीक्षार्थियों को **स्मार्ट स्टडी योजना, समय प्रबंधन, नियमित रिवीजन, पुराने प्रश्न पत्रों के अध्ययन** तथा **स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता** जैसे विषयों पर विस्तार से मार्गदर्शन किया।

उन्होंने छात्रों को बताया कि नियमित अध्ययन, सकारात्मक सोच एवं संतुलित दिनचर्या अपनाकर परीक्षा के भय को दूर किया जा सकता है। साथ ही यह भी समझाया कि परीक्षा केवल ज्ञान का मूल्यांकन है, जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं, इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

कार्यक्रम के अंत में छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सहज एवं प्रेरणादायक ढंग से उत्तर देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही।

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹2000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश महोबा द्वारा अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित करते हुए आरोपी अभियुक्त को 01 वर्ष का कठोर कारावास व 2000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 225/2025 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बंधित आरोपी अभियुक्त सर्वेश उर्फ गुड्डू पुत्र गंगा सिंह अहेलिया निवासी बल्हारपुर थाना सिंढपुरा जनपद कासगंज को 01 वर्ष का कठोर कारावास व 2000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।